

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय, नरौरा
Atomic Energy Central School, Narora

No: AECS/NAR/RTE /2026

दिनांक / Date : 28.02.2026

विषय: सत्र 2026-2027 के लिए आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश।
Subject: Admissions under RTE Act for the session 2026-2027.

नीचे अधिसूचित रिक्त सीटों के लिए आरटीई के तहत प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश केवल बालवाटिका-I के लिए ही मान्य होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

Applications are invited for admission under the RTE for the vacant seats as notified below. Admissions under RTE Act will be considered only for Balvatika-I as given below:

आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश एईईएस के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रदान किए जाएंगे।
Admission under RTE Act will be granted by following the guidelines of AEEES.

(क) आरटीई अधिनियम के तहत बालवाटिका-I में रिक्तियों की स्थिति:

(A) Vacancy position in Balvatika- I under RTE Act :

| क्र मां क S. No | कक्षा Class | उपलब्ध सीटों की अनुमानित संख्या Expected no. of available seats | प्रवेश के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 31 मार्च 2026 को न्यूनतम आयु Minimum age on 31 st March 2026 of the year in which admission is sought | प्रवेश के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 31 मार्च 2026 को अधिकतम आयु सीमा Maximum age on 31 st March 2026 of the year in which admission is sought |
|-----------------------------|----------------|--|---|---|
| 01 | Balvatika-I | 06 | 3 years | 4 years |


नोट: अन्य कक्षाओं के लिए कोई रिक्ति नहीं है। **Note: No vacancy exists for other classes.**

(ख) आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत बालवाटिका-I में प्रवेश के लिए पात्रता।

31 मार्च, 2026 को तीन वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चे (1 अप्रैल को जन्मे बच्चे को भी शामिल किया जाएगा) जो आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और वंचित वर्ग एवं/या दुर्बल वर्ग से संबंधित हैं, आर टी ई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं।

(B) Eligibility for grant of admission to Balvatika-I under the provisions of RTE Act 2009.

Children who have completed 3 (Three) years as on March 31, 2026 (The child born on 1st April should also be considered) residing in the neighborhood area, who belong to Disadvantaged Group and/ or Weaker Section are eligible to seek admission under the provisions of RTE Act, 2009.


28/02/2026
.....2/-

(i) वंचित समूह की परिभाषा: वंचित समूह से संबंधित बच्चे का अर्थ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से संबंधित बच्चा, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारकों के कारण वंचित हो, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (d))। विशेष आवश्यकता वाले और विकलांग बच्चे का निर्धारण आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित अनुसार किया जाएगा।

(i) Definition of Disadvantaged Group: Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government, by notification (Section 2 (d) of RTE Act). Child with special needs and suffering from disability will be determined as per the provision Mentioned in RTE Act 2009 or as defined by the concerned State Govt.

(ii) दुर्बल वर्ग की परिभाषा: दुर्बल वर्ग से संबंधित बच्चे का अर्थ ऐसे माता-पिता या अभिभावक (न्यायालय या कानून द्वारा घोषित) का बच्चा है, जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (e))। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए आय सीमा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार लागू होगी।

(ii) Definition of weaker section: Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government, by notification (section 2 (e) of RTE Act). The income limit regarding economically weaker section will be applicable as notified by the State Govt. concerned.

(iii) पड़ोस की परिभाषा: आवेदक का निवास स्थान एईसीएस, नरोरा से 8 किमी के दायरे में होना चाहिए।


(iii) Definition of neighborhood: The residence of the applicant should be within a radius of 08 km. from AECS, Narora.

आरटीई अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को स्कूल कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करते समय निम्नलिखित दो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:

1. आवेदक के साथ बच्चे के संबंध को स्थापित करने वाले किसी भी वैध दस्तावेज की फोटोकॉपी (जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि)।
2. एईसीएस, नरोरा से निवास स्थान की दूरी के संबंध में लिखित स्वघोषणा।

Applicants under RTE Act must produce the following two certificates at the time of obtaining application forms from the school office:

1. Photocopy of any valid document establishing the relationship of the child with the applicant (such as Ration card, Aadhar card, Birth certificate etc.).
2. A self declaration in writing, with regard to the distance of the residence from AECS, Narora

.....3/-

 28/02/2026


आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश फॉर्म एईसीएस, नरोरा स्थित माध्यमिक अनुभाग के विद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है (आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क आवश्यक नहीं है)।

Admission form under RTE Act can be obtained from the school office, secondary section AECS, Narora (No application form fee is required).

(ग) आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेश के लिए भरे हुए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

(C) Documents required to be submitted along with the filled-in application form for admission under the RTE Act 2009:

| Certificate | Remarks |
|---|--|
| निवास का प्रमाण Proof of residence | मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / एमएनआरईजीए कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / वैध ड्राइविंग लाइसेंस / नवीनतम पानी का बिल / नवीनतम बिजली का बिल / कोई भी प्रामाणिक आधिकारिक दस्तावेज। Voter I-card / Ration card / MNREGA card / Aadhaar Card / Passport / Valid Driving license / Latest Water Bill / Latest Electricity Bill / Any authentic official document. |
| जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate | नगरपालिका/नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पंचायत कार्यालय/ग्राम मुखिया/ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र, जिस पर संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर हों। (*) कृपया ध्यान दें कि जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर शपथ पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। Certificate issued by Municipality/ Municipal Corporation / the original birth certificate issued by Panchayat Office/Village Mukhia / Sarpanch of a Gram Panchayat, endorsed under the seal and signature of the Revenue / Panchayat Officer of the area (*) Please note that affidavit will not be accepted in lieu of the birth certificate. |
| जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र, यदि लागू हो Caste certificate and other certificate, if applicable | सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यधिक जनजातीय (गैर-क्रीमी परत) / बीपीएल/दिव्यांग वर्ग से संबंधित है, जैसा भी लागू हो। Certificate issued by competent authority stating that the child belongs to SC/ST/EWS/OBC(non-creamy layer)/BPL/differently - abled, as applicable |
| यदि लागू हो तो विकलांगता प्रमाण पत्र Disability certificate, if applicable | भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। Certificate issued by civil surgeon / rehabilitation centre or any other competent authority, as defined by the Government of India / Uttar Pradesh |
| आय प्रमाण पत्र Income certificate | राजस्व प्राधिकरण द्वारा माता-पिता की आय के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र। Certificate issued by revenue authority with regard to the income of the parents |
| पड़ोस में निवास का प्रमाण Proof of residence in the neighborhood | एईसीएस, नरोरा से निवास स्थान की दूरी के संबंध में लिखित में स्व-घोषणा। A Self - declaration in writing, with regard to the distance of the residence from AECS, Narora |


28/02/2026.....4/-

आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए शुल्क: बालवाटिका-I में आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों से कक्षा VIII पूरी होने तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों को शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है, वे आरटीई शुल्क रियायतों का दावा नहीं कर सकते।


Fee for students admitted under RTE Act: No fee will be charged from students admitted under RTE Act in Balvatika -I till they complete Class-VIII. However, the employees who have the facility of fee reimbursement can not claim RTE fee concessions.

आरटीई छात्रों के चयन की विधि: यदि आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत बालवाटिका-I में प्रवेश के लिए प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या निर्धारित सीटों से अधिक हो जाती है, तो सीटें लॉटरी द्वारा भरी जाएंगी।

Mode of selection of RTE students: If the number of eligible applications received seeking admission into Balvatika-I under the provision of RTE Act 2009 exceeds the prescribed seats, then seats will be filled by draw of lots.

सामान्य निर्देश: General Instructions:

- आवेदकों और उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि एईसीएस, नरोरा एक अंग्रेजी माध्यम का सह-शिक्षा विद्यालय है।
- **Applicants and their parents may please note that AECS, Narora is an English-medium co-educational school.**
- यदि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं (जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो), तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- **If the required documents are not submitted along with the application (unless otherwise indicated), the application will be rejected.**
- प्रवेश प्रपत्र जारी करने और स्वीकार करने मात्र से आरटीई अधिनियम 2009 के तहत छात्रों के प्रवेश की गारंटी नहीं मिल जाएगी।
- **Mere issue and acceptance of admission form will not guarantee the admission to students under RTE Act 2009.**
- प्रवेश के लिए शेष सभी मानदंड समय-समय पर लागू होने वाले एईईएस के दिशानिर्देशों पर आधारित होंगे।
- **All the remaining criteria for admission will be based on the guidelines of AEES, as applicable from time to time.**
- विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय (माध्यमिक अनुभाग, एईसीएस, नरोरा) में जमा किए जाने चाहिए।
- **The duly filled-in Application Forms should be submitted at the school office (Secondary Section, AECS, Narora).**



28/02/2026

.....5/-

: 5 :


आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बालवाटिका-I में प्रवेश के लिए प्रवेश अनुसूची।

Admission schedule for admission to Balvatika-I under the provisions of RTE Act.

| क्रमांक Sr. No. | गतिविधि / Activity | दिनांक / Date | समय / Time |
|--------------------|--|---|--------------|
| 1 | प्रवेश फार्म का वितरण Distribution of admission Form | 02.03.2026 to 12.03.2026 | 9 am to 1 pm |
| 2 | विधिवत भरे हुए प्रवेश प्रपत्रों को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना। Submission of the duly filled in admission forms with all supporting documents | 05.03.2026 to 14.03.2026 | 9 am to 1 pm |
| 3 | बालवाटिका-I (लॉटरी के लिए पात्र छात्रों की सूची का प्रदर्शन) Display of the list of students eligible for lottery (Balvatika-I) | बाद में घोषणा की जाएगी To be announced later | |
| 4 | बालवाटिका-I के लिए पात्र आरटीई छात्रों का प्रवेश Admission of eligible RTE students for Balvatika-I | बाद में घोषणा की जाएगी To be announced later | |

महत्वपूर्ण नोट: यदि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्रवेश प्राप्त होने के बावजूद भी प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

Important note: Information, if found incorrect at any stage, will lead to the cancellation of the admission even if admission is obtained.


23/02/2026
(दिलीप सिंह / Dileep Singh)
(प्रधानाचार्य / Principal)

वितरण / Distribution: सभी सूचना बोर्डों पर / All Notice Boards
ई-सूचना, एनएपीएस नरोरा / e-notice, NAPS Narora

Copy to: 1. अध्यक्ष, एलएमसी, आईसीएस, नरोरा / The Chairman, LMC, AECS, Narora
2. सचिव, ए.ई.ई.एस., मुंबई / The Secretary, AEES, Mumbai.